न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 03/08–09, टी0आर0 न0 129/20–21

कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा :– अधियाची
बनाम
श्री सुरेश कुमार सिंह, पिता–पंकज सिंह एवं मुकेश सिंह (उत्तराधिकारी), ग्राम–बरवाटोली, लोहरदगा, पो0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा

आदेश

यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा बिजली विपत्र/बिल राशि भुगतान नही करने पर देनदार श्री सुरेश कुमार सिंह, पिता–पंकज सिंह एवं मुकेश सिंह (उत्तराधिकारी), ग्राम–बरवाटोली, लोहरदगा, पो0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा पर **मो0 89559.98/–(नवासी हजार पांच सौ उन्सठ)** रूपये विरूद्ध नीलाम पत्र वाद की धारा 5 के तहत् वसूली हेतु अधियाचना दिनांक 27.06.2008 को समर्पित किया गया है।

नीलाम पत्र वाद धारा 5 के अन्तर्गत अधियाचना समर्पित होने वाद दिनांक 19.01.2013 को नीलाम पत्र वाद धारा 7 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन पर सुरेश कुमार सिंह, ग्राम–बरवाटोली में नहीं रहते है। पुनः पत्रांक 78, दिनांक 13.07.16, पत्रांक 132, दिनांक 16.12.16, पत्रांक 156, दिनांक 30.12.16 नोटिस दिया गया एवं पत्रांक 24, दिनांक 18.01.17 द्वारा गिराफ्तारी वारंट निर्गत किया गया। वाद में लोक अदालत हेतु दिनांक 06.02.17, पत्रांक 97, दिनांक 13.12.17, पत्रांक 66, दिनांक 07.03.18, पत्रांक 91, दिनांक 04.04.18 को भेजा गया। जिसपर भी तामिला नहीं हो सका। जबकि अधियाची विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा मात्र उपस्थिति दी गई। तब अन्त में अधियाची विभाग कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, लोहरदगा को कार्यालय पत्रांक 115, दिनांक 12.05.18 के द्वारा सही पता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

19

	यह वाद दिनांक 10.12.2020 को हस्तान्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ तब कार्यालय पत्रांक 32, दिनांक 11.01.2021 के द्वारा अंतिम रूप से फिर नोटिस निर्गत किया गया। तामिला प्रतिवदेन में थाना प्रभारी, लोहरदगा द्वारा यह कहते हुए वापस किया गया कि देनदार सुरेश कुमार सिंह की मृत्यु हो गई है और इसका सारा परिवार भी बरवाटोली में नहीं रहते है। बिना तामिला नोटिस वापस आया है। तब कार्यालय द्वारा पत्रांक 164, दिनांक 09.03.2021 द्वारा सीधे कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल, लोहरदगा को सही पता एवं देनदार के मृत्यु पश्चात् सही उत्तराधिकारी भेजने हेतु लिखा गया। इसके वावजूद भी अधियाची विभाग द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया और न किसी तरह की पैरवी इस वाद में किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अधियाची विभाग को इस वाद में कोई रूचि भी नहीं है। इस तरह इस वाद का चलाना कोर्ट के समय की वर्वादीहै। अतः उपरोक्त स्थिति में नीलाम पत्र संख्या 03/08—09, टी0आर0 न0 129/20—21 को नीलाम पत्र की धारा 53 (2) के अन्तर्गत अभिरूचि नहीं लेने के कारण रदद/खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा को भेजें। सत्यापित/लेखापित 14/6/24 — जिला नीला पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा 14/6/24

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.26 18:52:42 +05:30
Location: 10.93.49.26